2007:CGHC:10779

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ:- **माननीय श्री एल.सी.भादू एवं**
माननीय श्री धिरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्तिगण

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

दांडिक अपील क्रं. 70/1996

अपीलार्थी: भजन कोरवा, पिता सगुना कोरवा, उम्र 25 वर्ष, निवासी रघुपार, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश शासन द्वारा – थाना प्रभारी, थाना – धौरपुर (अंबिकापुर), जिला सरगुजा (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्रीमती उषा चंद्राकर, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री यू. एन. एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक शासन/प्रत्यर्थी की ओर से।

मौखिक निर्णय

(दिनांक: 26 मार्च, 2007)

माननीय श्री एल.सी.भादू, न्यायमूर्ति द्वारा:

यह अपील उस दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 7.12.1995 को पारित दण्डादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, सरगुजा (म.प्र.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 144/1993 में पारित किया गया था, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹2,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया, और अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

2007:CGHC:10779

अभियोजन के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक चनकराम और आरोपी भजन कोरवा के बीच कृषि भूमि को लेकर विवाद था। दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक चनकराम आरोपी को साथ लेकर धौरपुर के बाजार में बाजरा खरीदने गया था। आरोपी बाजार से अपने घर मृतक चनकराम से पहले लौट आया। जब मृतक चनकराम बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी आरोपी ने उस पर तीर चलाया, जो उसकी छाती की पसली पर लगा। चनकराम द्वारा चिल्लाने पर उसके पुत्र मुन्ना, शिवबालक और पत्नी फूलोबाई घटना स्थल पर पहुँचे और देखा कि तीर मृतक चनकराम की छाती में धंसा हुआ था। पूछताछ करने पर चनकराम ने बताया कि भजन कोरवा ने तीर चलाया था। इसके बाद चनकराम ने चोंटो के कारण दम तोड़ दिया। इस घटना की मृतक के पुत्र शिवबालक द्वारा पुलिस थाना धौरपुर में रिपोर्ट की गई, जिस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी, पुलिस थाना धौरपुर, घटनास्थल पर पहुँचे और पंचों को सूचना देने के पश्चात मृतक चनकराम का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया। पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए आरोपी भजन ने मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/2) दिया, जिसके आधार पर तीर-कमान (प्रदर्श पी/3) के तहत जब्त किया गया। साधारण और रक्तरंजित मिट्टी (प्रदर्श पी/4) के तहत जब्त की गई। घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी/5) के अंतर्गत तैयार किया गया। मृतक चनकराम के शव को पोस्टमार्टम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धौरपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. दुर्गाप्रसाद शांडिल ने मृतक चनकराम के शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट (प्रदर्श पी/6) तैयार की। डॉक्टर ने देखा कि मृतक चनकराम के पेट के बाएँ हिस्से (कमर के बाएँ हिस्से) में एक मृत्यु-पूर्व चोट (antemortem stab wound) थी, जो अंतिम पसली की निचली सीमा को भेदती हुई, 4×2 से.मी. के घाव में तीर के माध्यम से तिल्ली (spleen) और बड़ी आंत तक गहराई से प्रवेश कर गई थी। पेट की गुहा में रक्त का थक्का पाया गया। डॉक्टर की राय थी कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुआ शॉक (syncope) था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को विचारण हेतु उपार्पित किया, जहाँ से प्रकरण हस्तांतरित होकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ।

अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए नौ गवाहों का परीक्षण किया गया। आरोपी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी ने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री से इनकार किया और यह कहा कि वह निर्दोष है तथा उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध कर उपर्युक्त अनुसार दण्डित किया।

हमने श्रीमती उषा चंद्राकर, उपस्थित अधिवक्ता वास्ते आरोपी/अपीलार्थी, तथा श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, शासन/प्रत्यर्थी की ओर से, को सुना।

2007:CGHC:10779

श्रीमती उषा चंद्राकर ने प्रारंभ में ही चनकराम के मानववध को विवादित नहीं किया। साथ ही, अ.सा.-5 शिवबालक तथा अ.सा.-6 मुन्ना (मृतक के पुत्रगण) और अ.सा.-7 फूलोबाई (मृतक की पत्नी) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक ने अपना मृत्युकालिक कथन किया कि आरोपी भजन ने उस पर तीर चलाया। उपरोक्त साक्ष्य को अ.सा.-4 डॉ. दुर्गाप्रसाद शांडिल द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य से और अधिक पुष्ट किया गया, जिन्होंने मृतक चनकराम के शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट (प्रदर्श पी/6) तैयार की तथा यह राय दी कि मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। अतः उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि चनकराम की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

जहाँ तक प्रश्नाधीन अपराध में आरोपी की संलिप्तता का प्रश्न है, इस मामले में दोषसिद्धि केवल मृतक चनकराम द्वारा उसकी पत्नी फूलोबाई (अ.सा.-7) तथा उसके पुत्र शिवबालक (अ.सा.-5) एवं मुन्ना (अ.सा.-6) के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थापित न्यायसिद्धान्त के अनुसार, यदि मृत्युकालिक कथन के आधार पर आरोपी को सिद्धदोष ठहराया जाना हो, तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात पर बल दे कि मृत्युकालिक कथन ऐसा हो जो न्यायालय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर सके। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि मृतक का कथन किसी प्रकार की प्रेरणा, सिखावन या कल्पना का परिणाम न हो। न्यायालय को आगे यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और हमलावर को पहचानने तथा उसका अवलोकन करने का उसे उचित अवसर प्राप्त हुआ था। सामान्यतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मृतक मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं, न्यायालय चिकित्सा राय पर निर्भर करता है। परंतु यदि प्रत्यक्षदर्शी यह कहते हैं कि मृतक मृत्युपूर्व कथन देने के समय पूरी तरह स्वस्थ एवं सचेत अवस्था में था, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा राय को वरीयता नहीं दी जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल इस आधार पर कि डॉक्टर द्वारा कथनकर्ता की मानसिक स्थिति को लेकर कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है, मृत्युपूर्व कथन अस्वीकार्य है। मृत्युपूर्व कथन मौखिक, लिखित या किसी भी उपयुक्त संप्रेषण विधि से दिया जा सकता है — चाहे वह शब्दों से हो, संकेतों से हो अथवा अन्य किसी माध्यम से, बशर्ते वह कथन स्पष्ट और निश्चित हो। यह कानून की कोई अनिवार्यता नहीं है कि मृत्युपूर्व कथन अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट को ही दिया जाए।

उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, हम इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करते हैं। अ.सा.-5 शिवबालक (मृतक का पुत्र) के कथन के अनुसार, आरोपी और मृतक के बीच भूमि को लेकर विवाद था क्योंकि आरोपी ने मृतक की कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, मृतक आरोपी को बाजरा खरीदने के लिए धौरपुर बाज़ार ले गया था और रात में उसके पिता घर वापस नहीं लौटे। उसी रात भोजन करने के बाद वे सो गए थे। रात में उसके पिता (मृतक) ने जोर-जोर से पुकारा – "आओ, आओ, मुझपर भजन कोरवा ने हमला किया है।" यह सुनकर उसकी माँ जाग गई और उसने मुन्ना, जागर साईं से कहा कि उनके पिता उन्हें बुला रहे हैं। तत्पश्चात वह मुन्ना और जगार साय के साथ धौरपुर रोड की ओर गया और लगभग 300 मीटर की

2007:CGHC:10779

दूरी पर उन्होंने अपने पिता को सड़क पर पड़े पाया। एक तीर उनके पेट में धंसा हुआ था। जब उसने अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने मुन्ना, जगार साय और उसे बताया कि भजन ने उस पर तीर मारा है। कुछ समय बाद उसके पिता ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अ.सा.-6 मुन्ना (मृतक का पुत्र) ने भी कहा कि आरोपी और मृतक के बीच भूमि को लेकर विवाद था। रात में उसकी माँ ने उसे बताया कि भजन ने उसके पिता पर हमला किया है, जिस पर वह अपने बड़े भाई शिवबालक के साथ अपने पिता को देखने गया। उनकी माँ फूलोबाई सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँची थीं और वे दोनों बाद में पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के शरीर में तीर धंसा हुआ था। तब उसने अपने पिता से पूछा कि तीर किसने मारा, जिस पर उसके पिता ने बताया कि भजन ने तीर मारा है। अ.सा.-7 फूलोबाई (मृतक की पत्नी) ने भी कहा कि जब उसने अपने पति की चीखें सुनीं तो वह भजन के घर के पास गई और पाया कि एक तीर उसके पति के शरीर में घुसा हुआ था। पूछताछ करने पर उसके पति ने बताया कि भजन ने उस पर तीर चलाया है।

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त गवाहों की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अ.सा.-5 शिवबालक ने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा है कि जब उसकी माँ ने कहा, तब वह मुन्ना और जगार साय के साथ चनकराम को देखने गया, और उनके समक्ष चनकराम ने मौखिक रूप से यह मृत्युपूर्व कथन दिया कि उस पर अभियुक्त भजन कोरवा ने हमला किया है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण कि कंडिका 11 में उसने यह कहा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद फूलोबाई और मुन्ना आदि वहाँ पहुँचे थे। इसके अतिरिक्त, इन गवाहों की गवाही में इस बात को लेकर भी विरोधाभास है कि वे उस स्थान पर कब पहुँचे जहाँ चनकराम घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अ.सा.-6 मुन्ना के कथन के अनुसार, उनकी माँ फूलोबाई सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँची थीं और उसके बाद वह स्वयं तथा अ.सा.-5 शिवबालक वहाँ पहुँचे। अतः उपरोक्त विरोधाभासों को दृष्टिगत रखते हुए, इन तीनों गवाहों की गवाही, जिनके समक्ष यह मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया गया बताया गया है, मृतक चनकराम द्वारा किया गया कथन न्यायालय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी की अधिवक्ता श्रीमती उषा चंद्राकर द्वारा प्रस्तुत तर्क का विवेचन करने के लिए, हमने अ.सा.-5 शिवबालक कोरवा (मृतक का पुत्र) द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/8) का अवलोकन किया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि लगभग रात 10:00 बजे उसकी माँ ने उसे उठाया और कहा कि कोई बुला रहा है, संभवतः उसके पिता की आवाज़ लग रही है। इसके बाद वह जगनू उरांव के साथ धौरपुर रोड की ओर गया। जब वे भजन के घर के पास पहुँचे, तो उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी और देखा कि एक तीर उसके पिता की बाईं पसलियों में धंसा हुआ था और वहाँ से खून बह रहा था। पूछताछ करने पर उसके पिता ने बताया कि भजन ने उस पर हमला किया है। उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुन्ना और फूलोबाई के घटनास्थल पर मृतक चनकराम की मृत्यु से पहले पहुँचने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः इस सीमा तक मृतक द्वारा उसकी पत्नी अ.सा.-7 फूलोबाई और पुत्र अ.सा.-6 मुन्ना के समक्ष किया गया मृत्युपूर्व कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है। परंतु जहाँ तक अ.सा.-5 शिवबालक की गवाही का संबंध है, उसकी गवाही को अविश्वसनीय ठहराने का कोई

2007:CGHC:10779

कारण नहीं है, क्योंकि उसने जो बातें अपने बयान में कहीं, वही बातें उसने अगली सुबह दर्ज की गई एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी/8) में भी कही थीं। इसके अतिरिक्त, प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे इस गवाह को अविश्वसनीय या संदिग्ध ठहराया जा सके।

अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अ.सा.-5 शिवबालक (मृतक का पुत्र) की गवाही के अतिरिक्त, कोई अन्य स्वतंत्र गवाह इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया कि मृतक को तीर से चोट लगने के बाद वह बोलने की स्थिति में था।

वास्तव में, इस बिंदु पर अ.सा.-5 शिवबालक से बचाव पक्ष द्वारा यह परीक्षण कि चनकराम को तीर की चोट लगने के बाद बोलने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण कि कंडिका 12 में यह कहा है कि यह कहना गलत है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब उसके पिता बेहोश थे। डॉ. दुर्गाप्रसाद शांडिल (अ.सा.-4), जिन्होंने चनकराम के शव का पोस्टमार्टम किया था, उनसे भी इस बिंदु पर प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। यह निर्विवाद है कि मृतक चनकराम का शव अभियुक्त भजन के घर के पास रात में पड़ा हुआ पाया गया था। अतः यह संभावना नकारी नहीं जा सकती कि चनकराम की चीखों को उसके परिवार के सदस्यों ने सुना हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहाँ तक अभियोजन के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण न किए जाने का प्रश्न है, हमने अ.सा.-5 शिवबालक की गवाही का गहराई से परीक्षण किया है और वह न्यायालय में विश्वास उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त है। अतः किसी अन्य स्वतंत्र गवाह की जाँच न किया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, हमारा यह सुविचार रहा है कि आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा चनाकराम की तीर मारकर मृत्यु कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाना विधिसंगत है और हम विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाते हैं। हालांकि, आरोपी/अपीलार्थी पर आरोपित मूल दंड को यथावत रखते हुए, ₹2000/- के जुर्माने को घटाकर ₹1000/- कर दिया जाता है। यदि वह उक्त जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ताक्षरित:
(एल. सी. भादू)
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित:
(धिरेन्द्र मिश्रा)
न्यायमूर्ति

2007:CGHC:10779

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: RANJAN GUPTA, ADVOCATE

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur